राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

---

क्रमांकः प.1(10) बैठक/न्याय/2013पार्ट जयपुर, दिनांक 29.05.2017
05.06.2017

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/
   प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त जिला कलक्टर
   (जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

---

विषयः—न्यायालय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करने बाबत्।

महोदय,

न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा करने से यह संज्ञान में आया है कि कार्यालयों में न्यायिक प्रकरण प्राप्त होने उपरान्त काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कई न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा रही है, जिससे न्यायालयों में राज्य सरकार के पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पा रहा है।

दिनांक 24.05.2017 को न्याय विभाग की समीक्षा बैठक में माननीय मंत्री न्याय द्वारा इसको गम्भीरता से लिया गया है व इस संबंध में समयबद्ध तरीके से प्रभारी अधिकारी के आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त वर्णन की पृष्ठभूमि में आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालय तथा अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति प्रकरण प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में ही करवाया जाना सुनिश्चित करने का श्रम करें।

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव

D:\SO\P.1(10)